

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 242/2019

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी


बनाम्

1. मुन्शीराम पुत्र उदाराम } जाति कुम्हार निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला
2. सावित्री देवी पत्नी मुन्शीराम } हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी राजेन्द्रकुमार को चकनं 6 डीबीएल के प0न0 191/348 मु0 12 किलानं 3/2/.114, 8/.253, 9/1/.013, 12/1/.013, 13, 17/.051, 18/.253, 19/1/.013 है0 का तथा प्रतिवादीया सं0 2 सावित्री देवी को चकनं 6 डीबीएल के प0न0 191/348 मु0 12 किलानं 4,7,14, 17/.202 है0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं 6 डीबीएल के खाता सं0 45/31 में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16-08-2019 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी